न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 13 / 2022

1 कालुराम पुत्र किशन जाति कुमावत निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कानाराम पुत्र मोहनलाल।
2 फूली देवी पत्नी मोहनलाल।
3 गंगाराम दत्तक पुत्र हरबक्सा।
4 सांवरमल पुत्र श्रीकिशन।
5 नारायण पुत्र श्रीकिशन।
6 मंगलचन्द पुत्र श्रीकिशन।
7 धापू देवी पत्नी श्रीकिशन।
8 जोधाराम पुत्र रूघनाथ समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजियक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

राजस्व अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
दावा संख्या 93/2019 उनवानी कानाराम आदि बनाम
कालूराम आदि दिनांकित 11.01.2022।

अपील संख्या 14/2022

1 कालुराम पुत्र किशन जाति कुमावत निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कानाराम पुत्र मोहनलाल।
2 फूली देवी पत्नी मोहनलाल।
3 गंगाराम दत्तक पुत्र हरबक्सा।
4 सांवरमल पुत्र श्रीकिशन।
5 नारायण पुत्र श्रीकिशन।
6 मंगलचन्द पुत्र श्रीकिशन।
7 धापू देवी पत्नी श्रीकिशन।
8 जोधाराम पुत्र रूघनाथ समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजियक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ़ जिला सीकर।

11 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
दावा संख्या 93/2019 उनवानी कानाराम आदि बनाम
कालूराम आदि दिनांकित 29.08.2019।

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16-12-2022

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 93/2019 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 एवं 11.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि भूमियां खसरा नम्बर 2581 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2582 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2593 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2602 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2603 रकबा 0.90 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 हैक्टेयर अवस्थित है। उपरोक्त भूमियां अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। जिनका 40–45 साल पहले बाहमी विभाजन हो गया था। मौके पर हुए बाहमी विभाजन के अनुसार उपरोक्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 2603 में से उतरी दिशा का हिस्सा अपीलांट के पिता श्री किशन को प्राप्त हुआ तथा उसके दक्षिण में जोधाराम को प्राप्त हुआ तथा उसके दक्षिण में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के पिता मोहनलाल के हिस्से में जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार आया था। अपीलांट के पिता श्रीकिशन के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 है। जो श्री किशन के देहान्त के पश्चात उसके वारिसान के रूप में श्रीकिशन के हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 मोहनलाल के देहान्त के पश्चात् उसके वारिस के रूप में काबिज, काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडैंट संख्या 3 उपरोक्त भूमियों के पश्चिमी हिस्से पर काबिज है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 01 काना ने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 से कहा कि में आपके हिस्से में मकान बना लूं, मेरे मकान बनेंगे उसकी एवज में उतनी जमीन मै जोधाराम के पास वाली जो मेरी जमीन है, उसमें से दे दूंगा। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 ने अपने हिस्से में से रेस्पोडेंट संख्या 1 को 14 मीटर चौडी व 23 मीटर लम्बाई जिसकी कुल रकबा 0.0322 वर्गमीटर दे दी उसी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 काबिज है, शेष पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 का कब्जा है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने उपरोक्त वस्तुस्थिति को छुपाते हुए दिनांक 24.07.2019 को उपरोक्त भूमियों के निमित अपीलाधीन वाद उनवानी कानाराम आदि

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम कालूराम आदि बाबत बंटवारा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के यहां प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिन दावा संख्या 93/2009 के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन वाद के अपीलांट सहित अन्य प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना मे जारी किया गया कोई नोटिस कभी भी अपीलांट को नहीं मिला तथा ना ही अपीलांट द्वारा श्री सुरेन्द्रपाल धायल एडवोकेट को अपनी ओर से मेमो ऑफ अपरियेन्स प्रस्तुति निमिय अधिकृत किया गया। परन्तु आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2019 को अपीलांट की ओर से श्री सुरेन्द्रपाल धायल एडवोकेट ने अनाधिकृत रूप से मेमो ऑफ अपीरेन्स प्रस्तुत कर दिया, परन्तु चूंकि अपीलांट ने श्री सुरेन्द्रपाल धायल एडवोकेट को अपीलाधीन वाद में पैरवी करने हेतु अधिकृत ही नहीं किया था इस कारण पत्रावली के आगामी अनुक्रम पर कभी भी अपीलांट की ओर से श्री सुरेन्द्रपाल धायल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को अपीलाधीन वाद में अपनायी जाने वाली प्रक्रियात्मक विधि के विपरित जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 11.01.2022 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिसके बारे में अपीलांट को पूर्व मे कोई जानकारी नही हो पाई परन्तु दिनांक 23.01.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विवादित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 2603 कि उतरी हिस्से पर बलात् कब्जा करने की कुचेष्टा करने लगा। अपीलांट द्वारा जब इसका विरोध किया तो रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट को अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री की फोटो प्रति दिखाते हुए यह खुले आम धमकी दी कि इस जमीन के बाबत कोर्ट से मैंने फैसला करवा लिया है। तू मुझे कब्जा करने से नहीं रोक सकता है। इस पर अपीलांट ने जानकारी करके दिनांक 24.01.2022 को अपीलाधीन वाद की पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करके दिनांक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

24.01.2022 को नकल प्राप्त की तो सर्वप्रथम अपीलाधीन वाद में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के बारे में जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट कालुराम को दावे का नोटिस ही जारी नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने किसी भी अधिवक्ता को हिदायत पैरवी नही दी थी, न ही किसी अधिवक्ता को वकालतनामा दिया था। अपीलांट के जानकारी के बिना विचारण न्यायालय ने वकालतनामा प्रस्तुत कर सहमती प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जारी प्राथमिक डिक्री खारिज की जानी योग्य है। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार स्वंय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये गये है। विभाजन प्रस्ताव से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी नही किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन अंतिम डिक्री को भी विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर दोनो अपीले स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में परिपत्र कमांक 6739 दिनांक 06.08.2021 की प्रति एवं न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 299, आर.आर. टी. 2011–12 पेज 698, आर.एल.डब्ल्यू 2006 (1) आर.जे. पेज 324, आर.एल. डब्ल्यू 2007 (1) आर.जे. पेज 67 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट कालुराम प्रतिवादी संख्या 01 के रूप में संयोजित है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में बतौर प्रतिवादी नारायण, मंगलचन्द, सांवरमल, धापु देवी, जोधाराम भी पक्षकार थे। इनमे नारायण, मंगलचन्द, सांवरमल अपीलांट के भाई है एवं धापु देवी अपीलांट की माता है। इनके द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट कालुराम का तामील शुद्वा नोटिस संलग्न है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में कालुराम की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र पाल धायल का मेमो ऑफ अपेरियन्स एवं वकालतनामा संलग्न है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.08.2019 पर अपीलांट के वकील के सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी करने के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी निरीक्षक एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर है। स्पष्ट है कि विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति एवं सहमती से पारित की गई है। अपीलांट का यह कथन कि विचारण न्यायालय में उसने अधिवक्ता ही नियुक्त नही किया था स्वीकार योग्य नही है क्योंकि ऐसी स्थिति में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत फर्जी वकालतनामे के विरूद्व क्या कार्यवाही की यह स्पष्ट नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट कालुराम प्रतिवादी संख्या 01 के रूप में संयोजित है। विचारण न्यायालय में बतौर प्रतिवादी नारायण, मंगलचन्द, सांवरमल, धापु देवी, जोधाराम भी पक्षकार थे। इनमे नारायण, मंगलचन्द, सांवरमल अपीलांट के भाई है एवं धापु देवी अपीलांट की माता है। इनके द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट कालुराम का तामील शुद्वा नोटिस संलग्न है। विचारण न्यायालय की पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में कालुराम की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र पाल धायल का मेमो ऑफ अपेरियन्स एवं वकालतनामा संलग्न है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.08.2019 पर अपीलांट के वकील के सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी करने के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी निरीक्षक एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर है। स्पष्ट है कि विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति एवं सहमती से पारित की गई है। अपीलांट का यह कथन कि विचारण न्यायालय में उसने अधिवक्ता ही नियुक्त नही किया था स्वीकार योग्य नही है क्योंकि ऐसी स्थिति में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत फर्जी वकालतनामे के विरूद्व क्या कार्यवाही की यह स्पष्ट नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16-12-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर